[2019] 5 एस. सी. आर. 372

सर्वेपल्ली रमैया (मृत) की से विधिक वारिसान एवं अन्य

विरूद्ध

जिला कलेक्टर चित्तुर जिला और अन्य

(2009 की सिविल अपील सं. 7461)

14 मार्च, 2019

[आर. भानुमति और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) इनाम (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनियम, 1956–एस. एस. 2 – ए, 3,7 और 17–अपीलार्थियों का मामला कि उनके हित पूर्ववर्ती ('एस. आर.') ने चित्तुर आन्ध्र प्रदेश के ग्राम तिरूचानुर के सर्वेक्षण सं. 234 की भूमि के दो भूखंडों के लिए 'शाश्वथ पट्टा' प्राप्त किया था।

पट्टे के कार्यान्वयन के लिए एस. आर. की प्रार्थना को जिला कलेक्टर ने यह मानते हुए खारिज कर दिया कि जारी किया गया पट्टा कूटरचित और उसे आगे विस्तृत कर दिनांक 03.09.1984 जारी किया गया।

1956 के अधिनियम की धारा 2–ए के अनुसार प्रश्नाधीन विचाराधीन भूमि को "पेद्दाचेरुवु पोराम्बोक" (टैंक) के रूप में वर्गीकृत करके राजपत्र में दिनांक 03.09.1984 के अधिसूचना जारी किया।

"–'एस. आर.' द्वारा दायर रिट याचिका–खारिज–डिवीजन बेंच ने आदेश की पुष्टि की– अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः प्रति आर. भानुमति, जे. चित्तूर जिले के तिरुपति ग्रामीण मंडल में तिरुचानूर गाँव एक छोटा इनाम गाँव है और इसलिए 1956 के अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करता है– सर्वेक्षण संख्या 234 में शामिल पूरी भूमि को "पेद्दाचेरुवु पोराम्बोक" (टैंक) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी सांप्रदायिक सरकार पोराम्बोक भूमि 1956 के अधिनियम की धारा 2–ए के अंतर्गत आती हैं, ये भूमि किसी भी व्यक्ति को रैयतवारी पट्टा देने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जब सर्वेक्षण संख्या 234 में भूमि की संपूर्ण सीमा को टैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 1956 के अधिनियम की धारा 2–ए के प्रावधानों के तहत सम्मिलित रोक (वर्जना) को दृष्टिगत रखते हुए रैयतवारी पट्टा के कार्यान्वयन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03.09.1984 को चुनौती नहीं दी। उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर के आदेश को रद्द करने से सही ही इनकार कर दिया–इंदिरा बनर्जी, जे। (सहमति) 1956 का अधिनियम इनाम भूमि को समाप्त करने और आंध्र प्रदेश राज्य के आंध्र क्षेत्र में कुछ इनाम भूमि को रैयतवाड़ी भूमि में परिवर्तित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

दिनांक 03.09.1984 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा संपूर्ण सर्वेक्ष क्रमांक 234 को पेद्दाचेरुवु पोराम्बोक (टैंक) के रूप में अधिसूचित किया गया था। धारा 2–ए–1956 के अधिनियम के आलोक में भूमियां, सांप्रदायिक भूमियां नदी की धारओं, पोराम्बीक टैंक आदि भारमूक्त होकर शासन में निहित थे। अपीलार्थी और/या उनके हित–पूर्ववर्ती (एस आर) ने अधिसूचना को चुनौती नहीं दी। डिवीजन बेंच के निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं। आन्द्र प्रदेश (आन्ध्र क्षेत्र) इनाम (उन्मूलन और रैयतदारी में रूपांतरण) नियम 1957।

भारत का संविधान–Art.226–प्रशासनिक निर्णयों के तहत न्यायिक समीक्षा अवधारित प्रशासनिक निर्णय अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। 226 केवल विकृति, पेटेंट अवैधता, तर्कहीनता, निर्णय लेने की शक्ति की कमी के आधार पर और प्रक्रियात्मक अनियमितता– इन आधारों को छोड़कर प्रशासनिक न्यायिक समीक्षा की असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अवधारित प्रति आर. भानुमति, जे. :

1.1 चित्तूर जिले के तिरुपति ग्रामीण मंडल में तिरुचानूर गाँव एक छोटा इनाम गाँव है और इसलिए, यह आंध्र प्रदेश इनाम (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनियम, 1956 (इनाम उन्मूलन अधिनियम) के प्रावधान को आकर्षित करता है। तिरूपति ग्रामीण मंडल के तरूचानूर गांव के सर्वेक्षण संख्या 234 में शामिल 113.67½ एकड़ की संपूर्ण भूमि को "पेद्दाचेरुवु पोराम्बोक" (टैंक पोराम्बोक) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी सांप्रदायिक सरकारी पोराम्बोक भूमि इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 2–ए के तहत आती है। ये भूमि अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को रैयतवारी पट्टा देने के लिए उपलब्ध नहीं है। चूंकि यह गाँव एक इनाम गाँव है, तत्कालीन इनाम उप तहसीलदार, कलेक्टर कार्यालय, चित्तूर ने 113.67½ एकड़ की संपूर्ण भूमि को "टैंक पोराम्बोक" घोषित कर दिया है और इसे इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 2–ए के तहत लाया गया है और इसे जिले के राजपत्र संख्या 9 के पृष्ठ संख्या 20 पर दिनांक 03.09.1984 को प्रकाशित किया गया था।

इनाम के उप तहसीलदार, चित्तूर ने सद्भाविक रूप से उपरोक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए गलती से जिला राजपत्र, चित्तूर संख्या 9 दिनांक 03.09.1984 के पृष्ठ संख्या19 में सर्वेक्षण संख्या 234 एकड़ 54–00 को उल्लेख "इनाम सूखा" के रूप में उल्लेख किया है, जो अमान्य बताया गया है। [पैरा 8]

1.2 जिला कलेक्टर ने यह सही माना कि पूरी जमीन तिरुचानूर गाँव के सर्वेक्षण संख्या 234 में 113.67½ थी, [2019] 5 एस. सी. आर.।

आधिकारिक जिला राजपत्र संख्या 9 दिनांक 03.09.1984 में प्रकाशित इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 2–ए के तहत "पेद्दाचेरुवु टैंक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिला कलेक्टर ने यह भी बताया है कि हाल ही में आई०डी०टी० रेफर संख्या 1/88 दिनांक 11.05.1993 में इनाम के उप तहसीलदार द्वारा पारित किए गए एक आदेश में सर्वेक्षण संख्या 234 की कुल सीमा को डब्ल्यू. ए. नंबर .941/88 और 1070/88 में उच्च न्यायालय के दिनांक 13.04.1992 के आदेश के अनुसरण में टैंक के रूप में घोषित किया। जिसने इस प्रकार भूमि के वर्गीकरण के रूप में अब तक अंतिमता प्राप्त कर ली है। जैसा कि जिला कलेक्टर द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, जब सर्वेक्षण में भूमि के पूरे क्षेत्र को टैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, तो इनाम उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के तहत रैयतवारी पट्टा देने के लिए कोई सीमा उपलब्ध नहीं है और रैयतवारी पट्टा के कार्यान्वयन का प्रश्न ही नहीं उठता है। विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्डपीठ ने सही निर्णय दिया कि भूमि को "पेद्दाचेरुवु टैंक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सरकार के पास निहित है और इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 2–ए में निहित प्रतिबंध को देखते हुए रैयतवारी पट्टा जारी करने का कोई सवाल ही नहीं है। [पैरा 11]

1.3 भले ही, अपने आदेश में जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03.09.1984 का उल्लेख किया, अपीलकर्ताओं ने उक्त राजपत्र अधिसूचना को चुनौती नहीं दी। डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में अपीलार्थियों के आचरण का भी विस्तार से उल्लेख किया कि कैसे उन्होंने राजपत्र अधिसूचना के महत्वपूर्ण हिस्से को रोक दिया। पृष्ठ संख्या 20 जिसमें सर्वेक्षण संख्या 234 की भूमि का वर्गीकरण "पेद्दाचेरुवु–टैंक पोराम्बोक" के रूप में किया गया है। उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। हस्तक्षेप की गारंटी देने वाले विवादित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाई जाती है। [पैरा 13]

इंदिरा बनर्जी के अनुसार जे. (सहमत):

1.1 आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) इनाम (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनियम 1956, आंध्र प्रदेश राज्य के आंध्र क्षेत्र में इनाम भूमि को समाप्त करने और कुछ इनाम भूमि को रैयतवाड़ी भूमि में परिवर्तित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इनाम भूमि को 1956 के अधिनियम की धारा 2 (सी) में परिभाषित किया गया है। 1956 के अधिनियम की धारा 2ए को

1975 के अधिनियम 20 द्वारा संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। [पैरा 5–7] [383–जी–एच; 384–डी] सर्वेपल्ली रामैया (डी) पर एलआरएस के रूप में।

1.2 भले ही 1956 के अधिनियम को 10 दिसंबर, 1956 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अधिकारिक राजपत्र में 14 दिसंबर, 1956 को प्रकाशित किया गया और तुरंत लागू हो गया। अपीलकर्ताओं और/या उनके हित पूर्ववर्तियों ने इसके तुरंत बाद रैयतवारी पट्टा के लिए आवेदन नहीं किया। सिर्फ यह था कि 1980 में या उसके आसपास ही मृत 'एस. आर.' ने, भूमि के दो भूखंडों के लिए रैयतवारी पट्टा देने के लिए आवेदन किया था। सोमवार, 3 सितंबर, 1984 को चित्तूर जिला राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा तिरुचानूर में पूरे सर्वेक्षण संख्या 234 को उप–धारा (3) के तहत इनाम के उप–तहसीलदार के आदेश और 1956 के अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के तहत राजस्व न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार पेद्दाचेरुवु पोरम्बोके (टैंक) के रूप में अधिसूचित किया गया था।

1956 अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (4)। अपीलार्थियों और/या उनके हित पूर्ववर्ती स्व० 'एस०आर०' ने अधिसूचना को चुनौती नहीं दी।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अन्य लोगों ने अधिसूचना को आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे रद्द नहीं किया। (पैरा 9, 12 और 13) (385 बी–सी, ्ई–एफ) 1.3 एकल पीठ ने रिट पर विचार करने से इंकार कर दिया। याचिका में कलेक्टर ने इस आधार पर कथित रैयतवाड़ी पट्टो की वास्तविकता पर सवाल उठाया था कि संबंधित रजिस्टर में पट्टो के संबंध में को्ई प्रविष्टियां नहीं थी। शाश्वत पट्टा का अनुदान और 1940 में मठ के महंत द्वारा लिए गए पट्टे का निष्पादन भी विवादित था। कथित तौर पर दो रैयतवाड़ी पट्टे जारी करने वाले इनाम के उप–तहसीलदार के खिलाफ अवैध रूप से पट्टा देने के गंभीर आरोप थे।

इसके अलावा, पट्टे कथित तौर पर निर्धारित प्रपत्र में बिना किसी जांच की सूचना के जारी किए गए थे, जैसा कि 1956 के अधिनियम की धारा 7 के साथ ही आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) इनाम उन्मूलन आ ैर रैयतवाड़ी में रूपांतरण नियम 1957 की धारा 17 के तहत आवश्यक था।

इसके अलावा, पूरे सर्वेक्षण संख्या 234 को टैंक पोराम्बोक घोषित किया गया था और धारा 2–ए के तहत लाया गया था।

धारा 2ए और इसलिए, अविभाज्य था। प्रशासनिक निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत केवल विकृति, पेटेंट अवैधता, तर्कहीनता, निर्णय लेने की शक्ति की कमी और प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इन आधारों को छोड़कर न्यायिक समीक्षा की असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। इस

प्रकरण में, विवादित निर्णय न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में कुछ सामग्रियों पर आधारित था। इसे विकृत नहीं कहा जा सकता।

उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की असाधारण शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप करना को विकृत नहीं कहा जा सकता। काई निर्णय अतार्किकता से दूषित हो जाता है , यदि निर्णय इतना अपमानजनक है, कि यह सभी तर्कों की अवहेलना है; जब कोई भी व्यक्ति उचित रूप से कार्य करते हुए रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए संभवतः निर्णय नहीं ले सकता था। इस मामले में निर्णय अतार्किक नहीं है। [पैरा 22–24] [387 – एफ–एच; 388–ए–डी]

1.4 एक निर्णय को कभी–कभी अवैधता के आधार पर अनुच्छेद 226 के तहत अपास्त और रद्द किया जा सकता है। यह तब होता है जब निर्णय के आमुख से ही कानून की एक स्पष्ट त्रुटि परिलक्षित होती है, जो निर्णय की जड़ तक जाती है और/या दूसरे शब्दों में एक स्पष्ट त्रुटि, लेकिन जिसके लिए निर्णय अन्यथा होता। अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा निर्णय के खिलाफ नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के खिलाफ निर्देशित की जाती है। बेशक, निर्णय के आमुख से दिखने वाली एक पेटेंट अवैधता और/या स्पष्ट त्रुटि, जो निर्णय की जड़ तक जाती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को दूषित कर सकती है। इस मामले में ऐसी कोई पेटेंट अवैधता या स्पष्ट त्रुटि नहीं है। अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय विवादित निर्णय की अपील में न तो बैठता है आैर न ही तथ्य के उग्र विवादित प्रश्नों का न्यायनिर्णयन करता है।

कलेक्टर का निर्णय सामग्री पर आधारित था और इस प्रकार इसमें हस्तक्षेप करने योग्य नहीं था। उच्च न्यायालय ने निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करके बिल्कुल सही किया। यह उच्च न्यायालय के लिए नहीं था, जो न्यायिक समीक्षा की अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का पुनर्विश्लेषण करे आैर इस विवादित प्रश्न को अभिनिर्णित करें कि क्या मठ के महंत ने अपीलार्थियों के हित में पूर्ववर्तियों को शाश्वत पट्टा प्रदान किया था, क्या महंत द्वारा लिया गया पट्टा विधिवत निष्पादित किया गया था, क्या रैयतवारी पट्टे वास्तविक थे या अन्यथा वैध थे या नहीं। न ही यह उच्च न्यायालय को इस विवादित तथ्य पर निर्णय देना था कि क्या विचाराधीन भूमि वास्तव में एक जल निकाय थी या किसी जल निकाय का सूखा तल था। खेती अक्सर जल निकायों के सूखे तल पर की जाती है। यह जल निकाय के रूप में भूमि के चरित्र को नकारता नहीं है। [पैरा 25–27] [388–डी–एच; 389–ए]

1.5 उच्च न्यायालय ने पूरे सर्वेक्षण क्षेत्र को जल निकाय घोषित करने के अपने निर्णय को सही आधार पर बनाया और(वास्तव में) यह अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन भूखंड 1956 के अधिनियम की धारा 2–ए के तहत सभी बाधाओं से मुक्त, सरकार में निहित थे।

उक्त भूखंडों के संबंध में रैयतवारी पट्टा देने के लिए प्रत्यार्थियों को इसीलिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। इस मामले में अनुच्छेद 226 के तहत राहत 1956 के अधिनियम के प्रारंभ के

बाद उचित समय के भीतर अपीलार्थियों के अपने अधिकार, यदि कोई हो, का दावा करने में देरी, बाधाओं, सहमति और/या चूक के आधार पर भी इनकार किया जा सकता था। अपीलार्थी और/या उनके पूर्ववर्ती सुस्त और सुस्त थे। पट्टा के लिए आवेदन 1956 के अधिनियम के शुरू होने के दो दशक बाद किया गया था, जबकि क़ानून के अनुसार इस तरह का आवेदन इसके शुरू होने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए था। एकल पीठ और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी उचित निर्णय दिया कि यह अच्छी तरह से स्थापित किया गया था कि पोराम्बोक (टैंक) को अलग नहीं किया जा सकता है। टैंको और जल निकायों के संबंध में कोई पट्टा नहीं दिया जा सकता है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो सूख गए हैं या उपयोग में नहीं हैं। अपीलकर्ताओं और/या उनके हित पूर्ववर्ती ने 3 सितंबर, 1984 की राजपत्र अधिसूचना को चुनौती नहीं दी थी, जिसमें तिरुचानूर पूरे सर्वेक्षण संख्या 234 को "पेद्दाचेरुवु पोराम्बोक" यानी टैंक के रूप में अधिसूचित किया गया था। [पैरा 28–31] [389–बी–ंइ]

सुसेथा बनाम तमिलनाडु राज्य (2006) 6 एस. सी. सी. 543:

[2006] 4 पूरक। एससीआर 361; एम. सी. मेहता (बड़खल और

सूरजकुंड लेक मैटर) v. भारत संघ (1997) 3

एस. सी. सी. 715 [1996] 7 पूरक। एससीआर 465; बुद्धिजीवी

फोरम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) 3 एससीसी 549:

[2006] 2 एस. सी. आर. 419–संदर्भित।

मामला केस कानून संदर्भ

[2006] 4 पूरक। एससीआर 361	संदर्भित किया गया है	पैरा 32
[1996] 7 पूरक। एससीआर 465	संदर्भित किया गया है	पैरा 32
[2006] 2 एससीआर 419	संदर्भित किया गया है	पैरा 32

सिविल अपील, न्यायनिर्णयः सिविल अपील 2009 का No.7461।

2004 की रिट अपील सं. 1495 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय आैर आदेश दिनांक 22.02.2006 से।

एस. गुरुकृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता , के. परमेश्वर, रवि कुमार रेड्डी, एम. वी. मुकुंद, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, मेसर्स उदित किशन एंड एसोसिएट्स, अधिवक्ता, उपस्थित पक्षकारों की से।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थेः–

आर. भानुमति, जे.

1. यह अपील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2004 की रिट याचिका संख्या 1495 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2006 से उत्पन्न हुई है और जिसके द्वारा खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा और इस प्रकार अपीलार्थियों के पक्ष में रैयतवारी पट्टा देने से इनकार करने को जिला कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

2. अपीलार्थियों का मामला यह है कि उनके हित पूर्ववर्ती ने (6.00 एकड़ सूखी भूमि के लिए टी०डी० क्रमांक 464 का) एक शाश्वत पट्टा दिनांक 31.12.1940 को हाथीरामजी मठ से प्राप्त किया था और तब से ही अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती एवं अपीलार्थीगण उस पर काबिज हैं।

अपीलार्थियों का मामला यह है कि उन्होंने सर्वेक्षण संख्या 234 में इनाम संख्या 464 के अनुरूप 6 एकड़ भूमि के संबंध में दिनांक 29.09.1980 का रैयतवारी पट्टा प्राप्त किया है। इसी तरह, अपीलकर्ताओं ने सर्वेक्षण संख्या 234 में इनाम संख्या 464 के अनुरूप 5.00 एकड़ की सीमा के लिए दिनांक 14.12.1980 को एक और रैयतवारी पट्टा भी प्राप्त किया। अपीलार्थी श्री सर्वपल्ली रामैया ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 2759/1990 दायर की है, जिसमें राजस्व में प्रविष्टियां करके उप–तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.09.1980 के आदेश के तहत उन्हें दिए गए पट्टे को लागू करने के लिए तहसीलदार, तिरुपति ग्रामीण को निर्देश देने की मांग की गई है। उक्त रिट का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.1990 के आदेश द्वारा किया गया, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संबंधित अभिलेखों के संदर्भ में संतुष्ट करें कि पट्टा वास्तविक है या नहीं और यदि वास्तविक पाया जाता है, तो उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

3. मंडल राजस्व अधिकारी, तिरुपति ग्रामीण अपने संदर्भ में Roc.C.213/89 दिनांक 20.06.1990 ने जिला कलेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या अपीलार्थी सर्वपल्ली रमैय्या को रैयतवारी पट्टा देने के आदेश को लागू किया जाए। जिला कलेक्टर ने मंजूरी नहीं दी, बल्कि दिनांक 14.03.1991 को आन्ध्र ज्योति दैनिक तेलगू समाचार पत्र रॉक द्वारा एक पेपर अधिसूचना जारी की गयी। बी 9.00701/1990 दिनांक 12.03.1991 में कहा गया कि श्री शेख कासुमैया, जिन्होंने वर्ष 1980 में चित्तूर जिले में इनाम के उप तहसीलदार चंद्रगिरी के रूप में काम किया था, ने रैयतवाड़ी पट्टे जारी किए और वे वैध नहीं हैं और बाद के बिक्री विलेख भी मान्य नहीं है।

4. चूंकि, जिला कलेक्टर ने रैयतवारी पट्टा जारी करने की मंजूरी नहीं दी, इसलिए अपीलार्थी ने रिट याचिका Nos.29664 सर्वेपल्ली रामैयाह (डी) को पी. ई. आर. एस. के रूप में दायर किया।

1995 का 65 और 1990 की पिछली रिट याचिका क्रमांक 2759 में की गई प्रार्थना को दोहराया। उक्त रिट याचिकाओं का निपटारा दिनांक 28.11.2001 के आदेश द्वारा किया गया,

जिसमें जिला कलेक्टर को अपीलार्थी को अवसर देने के बाद जांच करने आैर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। जांच करने आैर अपीलार्थी को अवसर देने के बाद जिला कलेक्टर ने जनवरी 2023 के आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 2–ए के तहत दिनांक 03.09.1984 की एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें विचाराधीन भूमि को "पेद्दाचेरुवु टैंक" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पट्टा के कार्यान्वयन के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उप–तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी सर्वपल्ली रमैया को जारी किए गए पट्टे फर्जी थे।

5. जिला कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी ने रिट याचिका क्रमांक 5807/2003 दायर की, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जिला कलेक्टर द्वारा पट्टों की प्रकृति के बारे में दर्ज किया गया निष्कर्ष कि वे नकली थे, साक्ष्य के सही मूल्यांकन पर आधारित था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 2–ए में निहित प्रतिबंध को देखते हुए, टैंक बेड भूमि को अलग या आवंटित नहीं किया जा सकता है। अपील में, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की कि भूमि को "पेद्दाचेरुवु टैंक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो सरकार में निहित है और इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 2–ए में निहित बाधा को देखते हुए और इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 03.09.11984 को चुनौती नहीं दी, इस तथ्य के बावजूद कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में राजपत्र अधिसूचना के पृष्ठ 20 पर दर्ज प्रविष्टि का विशिष्ट संदर्भ दिया गया है कि सर्वेक्षण संख्या 234 में शामिल भूमि पेद्दाचेरुवु टैंक है और उक्त राजपत्र अधिसूचना को चुनौती दिए बिना, अपीलकर्ता कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग नहीं कर सकता है।

6. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. गुरुकृष्ण कुमार ने कहा कि अपीलार्थियों के पक्ष में रैयतवारी पट्टा देने के दिनांक 29.09.1980 एवं 04.12.1980 के आदेशों को राज्य या किसी अन्य पक्ष द्वारा कानून द्वारा ज्ञात तरीके से चुनौती नहीं दी गई थी और उन आदेशों के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी और इसलिए, रैयतवारी पट्टा देने का आदेश अधिनियम की धारा 3 (4) के तहत अंतिम रूप ले चुका है।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थियों ने रैयतवारी पट्टा जारी करने के निर्देश देने वाले इनाम के उप–तहसीलदार के आदेश के बारे में असंगत रुख अपनाया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि जांच करते समय।

मामले से संबंधित अभिलेखों की जांच नहीं की थी और उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर के आदेश को रद्द नहीं करके गलती की।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि सर्वेक्षण संख्या 234 में कुल भूमि 113.67½ एकड़ को जिला राजपत्र चित्तूर दिनांक 03.09.1984 में 'पेद्दाचेरुवु'–टैंक पोराम्बोक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जिला राजपत्र के उपरोक्त प्रकाशन से पहले किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी भूमि के लिए जो भी पट्टे हैं, उन्हें गैर–मौजूदा और अमान्य माना जाएगा। जिला कलेक्टर के आदेश के माध्यम से हमें बताते हुए, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सामग्री पर विचार करने पर, जिला कलेक्टर ने सही निर्णय दिया है कि भूमि को 'टैंक पोरमबोके' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अपीलकर्ता भूमि पर अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं; इसके अलावा, उन्होंने दिनांक 30.09.1984 के राजपत्र अधिसूचना को चुनौती नहीं दी है।

8. तिरूपति ग्रामीण मंडल, चित्तूर जिजे के तिरूचानुर गांव का एक छोटा इनाम गांव है आैर इसलिए यह आन्ध्रप्रदेश इनाम उन्मूलन आैर रैयतवाड़ी में रूपांतरण अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करता है। तिरूचानुर गांव , तिरूपति ग्रामीण मंडल के सर्वेक्षण संख्या 234 में शामिल 113.67½ एकड़ की संपूर्ण भूमि को "पेद्दाचेरुवु पोराम्बोक (टैंक पोराम्बोक) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी सांप्रदायिक सरकारी पोरम्बोक भूमि इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 2–ए के अंतर्गत आती है। ये भूमि अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के रैयतवाड़ी पट्टा देने के लिए उपलब्ध नहीं है। चूँकि यह गाँव एक इनाम गाँव है, इसलिए तत्कालीन इनाम उप तहसीलदार, कलेक्टर कार्यालय, चित्तूर ने 113.67½ एकड़ की पूरी भूमि को "टैंक पोरमबोके" के रूप में घोषित किया है और इसे इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 2–ए के तहत लाया गया है और इसे जिला राजपत्र संख्या 9 दिनांक 03.09.1984 पृष्ठ संख्या 20 पर प्रकाशित किया गया था। इनाम के उप तहसीलदार, चित्तूर ने सद्भाविक रूप से उपरोक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए, गलती से, जिला राजपत्र, चित्तूर संख्या 9 दिनांक 03.09.1984 के पृष्ठ No.19 पर सर्वेक्षण संख्या 234 एकड़ 54–00 का उल्लेख "इनाम ड्राई" के रूप में किया है, जिसे अमान्य बताया गया है।

9. जैसा कि पहले देखा गया है, अपीलकर्ताओं ने दिनांक 29.10.11980 आैर दिनांक 14.12.1980 के आदेशों के आधार पर रैयतवारी पट्टा जारी करने के लिए दावा किया।

जब मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा कार्यवाही Roc.C.213/89 दिनांक 20.06.1990 को स्पष्टीकरण मांगा है, तो जिला कलेक्टर ने आंध्र ज्योति दैनिक तेलुगु समाचार पत्र सर्वेपल्ली रामैयाह (डी) में 14.03.1991 पर एक पेपर अधिसूचना जारी की।

रॉक बी 9.00701/1990 दिनांक 12.03.1991 के माध्यम से कहा गया है कि श्री शेख कासुमैया, जिन्होंने चित्तूर जिले के इनाम उप तहसीलदार चंद्रगिरी के रूप में काम किया था, ने रैयतवाड़ी पट्टे जारी किए और वे वैध नहीं हैं और बिक्री विलेख भी वैध नहीं हैं। तत्कालीन जिला कलेक्टर, चित्तूर ने भी Roc.E2/701/1990 दिनांक 23.09.1994 के माध्यम से एक और पेपर

अधिसूचना जारी की, जो आंध्र ज्योति दैनिक तेलुगु समाचार पत्र में दिनांक 23.08.1994 को प्रकाशित हुई थी, जिसमें कहा गया था कि तत्कालीन इनाम उप तहसीलदार श्री शेख कासुमैया ने फर्जी रैयतवाड़ी पट्टे जारी किए हैं और वे फर्जी और अमान्य हैं। वर्तमान मामले में अपीलार्थियों द्वारा जिस कथित पट्टा आई. ई. No.303/77 दिनांकित 29.09.1980 पर भरोसा किया गया था, उसे दिनांक 23.08.1984 के उक्त पेपर प्रकाशन में अपीलार्थी सर्वपल्ले रामैया के नाम के साथ क्रम संख्या 1 के रूप में भी दिखाया गया था।

10. यह भी बताया जाना चाहिए कि जिस दस्तावेज पर अपीलार्थी भूमि पर अधिकार का दावा कर रहा है, वह दिनांक 31.12.1940 का एक दस्तावेज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह श्री स्वामी हाथीरामजी मठ, तिरुपति द्वारा जारी किया गया था। उत्तरदाताओं के अनुसार, श्री स्वामी हाथीरामजी मठ, तिरुपति का भूमि के लिए टेकड या शाश्वत पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं है। कई मामलों में, यह पाया गया कि इस तरह के पट्टा या शाश्वत पट्टा कभी भी श्री स्वामी हाथीरामजी मठ द्वारा जारी नहीं किए गए थे और उन्हें बनाया या गढ़ा गया था और अपीलार्थी द्वारा जिस शाश्वत पट्टा पर भरोसा किया गया था, वह एक वैध और विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है।

11. इस संदर्भ में, दस्तावेजों और इनाम के उप–तहसीलदार की रिपोर्ट पर विचार करने पर, जिला कलेक्टर ने कहा कि अपीलार्थी मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर सर्वेक्षण संख्या 234 में भूमि का दावा कर रहा है, जो तत्कालीन इनाम उप तहसीलदार, चंद्रगिरी के आधिकारिक अभिलेखों में नहीं पाए जाते हैं। जिला कलेक्टर ने ठीक ही कहा कि तिरुचानूर गाँव के सर्वेक्षण संख्या 234 में पूरी भूमि जो 113.67½ है, को आधिकारिक जिला राजपत्र संख्या 9 दिनांक 03.09.1984 में प्रकाशित इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 2–ए के तहत "पेद्दाचेरुवु टैंक" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जिला कलेक्टर ने यह भी बताया है कि हाल ही में आई. डी. टी. रेफर क्रमांक 1/83 दिनांक 11.05.1993 में इनाम के उप तहसीलदार द्वारा एक आदेश पारित करके सर्वेक्षण क्रमांक 234 की संपूर्ण भूमि को उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. ए. Nos.941/88 और 1070/88 में पारित आदेश दिनांक 13.04.1992 के अनुसार में, जो इस प्रकार भूमि के वर्गीकरण के रूप में अब तक अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं। जैसा कि जिला कलेक्टर द्वारा सही माना गया, जब सर्वेक्षण क्रमांक 234 में भूमि के पूरे क्षेत्र को टैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, तो इनाम उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के तहत रैयतवारी पट्टा के देने के लिए कोई सीमा उपलब्ध नहीं है, टैंक के रूप में घोषित किया। रैयतवाड़ी पट्टा के कार्यान्वयन का सवाल ही नहीं उठता।

विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने सही निर्णय दिया कि भूमि को "पेद्दाचेरुवु टैंक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो सरकार के पास निहित है और इनाम उन्मूलन अधिनियम की धारा 2–ए में निहित प्रतिबंध को देखते हुए रैयतवारी पट्टा जारी करने का कोई सवाल ही नहीं है।

12. अपीलार्थियों की ओर से राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03.09.1984 के पृष्ठ संख्या 19 पर बहुत अधिक भरोसा किया गया जहाँ सर्वेक्षण संख्या 234 में 54–00 एकड़ को इनाम उन्मूलन अधिनियम की उप–धारा (3) के तहत प्रपत्र–II में "शुष्क" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, इनाम के उप–तहसीलदार को केवल इनाम भूमि के लिए प्रपत्र–I में नोटिस जारी करना होता है और प्रपत्र–II में निर्णय लेना होता है कि क्या "भूमि किसी संस्था के पास है" या "संस्था के पास नहीं है"। प्रत्यर्थी राज्य के अनुसार, इनाम के उप तहसीलदार ने आंध्र प्रदेश इनाम (उन्मूलन एवं रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनयम 1956 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया आैर प्रक्रिया का पालन किए बिना, सीधे सर्वेक्षण संख्या 234 में एकड़ 54–00 को "इनाम ड्राई" के रूप में जिला राजपत्र का पृष्ठ संख्या 19 प्रकाशित किया गया और यह यह गैरकानूनी और अमान्य है। प्रत्यर्थी–राज्य के अनुसार, 'इनाम ड्राई' के रूप में अमान्य अधिसूचनाओं के आधार पर, कोई भी सांप्रदायिक पोराम्बोक सरकारी भूमि पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। सभी भूमियां भारमुक्त होकर सरकार में निहित हैं। जब सर्वेक्षण संख्या 234 में 113.67½ की पूरी सीमा को "पेद्दाचेरुवु पोराम्बोक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो प्रतिवादी के अनुसार, राजपत्र के पृष्ठ संख्या 19 पर 54.00 एकड़ की 'इनाम ड्रा◌ाई' के रूप में अधिसूचना गैर कानूनी एवं अमान्य थी। केवल जिला राजपत्र में प्रकाशन मात्र से, चित्तूर सामुदायिक भूमि पर किसी को को◌ाई अधिकार नहीं दे सकता। 'इनाम ड्रा◌ाई' जैसी अमान्य अधिसूचना के आधार पर को◌ाई भी सांप्रदायिक पोराम्बोक जो सरकार में निहित भूमि है, पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

13. जिला कलेक्टर ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03.09.1984 का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार सर्वेक्षण संख्या 234 में 113.67½ की पूरी सीमा को "पेद्दाचेरुवु टैंक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कहा गया है कि रैयतवारी पट्टा जारी करने के लिए कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा बताया गया है, हालांकि, अपने आदेश में जिला कलेक्टर ने संदर्भित किया है राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03.09.1984 में, अपीलकर्ताओं ने उक्त राजपत्र अधिसूचना को चुनौती नहीं दी है। डिवीजन बेंच ने अपने आदेश दिनांक 22.02.2006 में विस्तृत रूप से अपीलार्थियों के आचरण का भी उल्लेख किया है कि उन्होंने राजपत्र के महत्वपूर्ण भाग को कैसे रोक दिया है।

अधिसूचना अर्थात पृष्ठ No.20 जिसमें सर्वेक्षण संख्या 234 में भूमि का वर्गीकरण "पेद्दाचेरुवु–टैंक पोराम्बोक" के रूप में किया गया है। सामग्री पर विचार करने पर, उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। हम हस्तक्षेप की गारंटी देने वाले विवादित आदेश में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।

14. नतीजतन, अपील खारिज कर दी जाती है।

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. मैंने अपनी सम्मानित बहन द्वारा तैयार किए गए मसौदा निर्णय का अध्ययन किया है और मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि यह अपील खारिज होने योग्य है। हालांकि मैं अपनी विद्वान बहन द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूं, मैं अपनी सहमति के लिए अपने स्वयं के कारण देना चाहूंगी।

2. अपीलार्थियों का मामला यह है कि 31 दिसंबर 1940 को मूल रिट याचिकाकर्ता स्वर्गीय सर्वपल्ली रमैया के पिता स्वर्गीय सर्वपल्ली पोट्टैया ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुचानूर गांव के सर्वेक्षण क्रमांक 234 में 2 भू–खण्डो के लिए शाश्वत पट्टा प्राप्त किया था, एक भूखंड, 6 एकड़ और दूसरा 5 एकड़ को श्री हाथी रामजी मठ के महंत से, प्रीमियम के भुगतान पर प्राप्त किया था।

3. अपीलार्थियों के अनुसार, स्वर्गीय सर्वपल्ली पोट्टैया को स्थायी पट्टा देने के 'लिया गया' के अनुसार 'ली गई' भूमि का विषय 'पुंजा मनावरी गारिकला मिट्टा चेनु' था, जो कृषि सूखी भूमि है। उत्तरदाताओं ने "लिए गए" के निष्पादन पर विवाद किया है।

4. यह दावा किया जाता है कि सर्वपल्ली रमैया और/या उनके हित पूर्ववर्ती ने निर्बाध कब्जे का आनंद लिया था और 1940 से दो भू–खण्डो में शामिल उपरोक्त 11 एकड़ भूमि पर खेती कर रहे थे। यह कहा गया है कि मूल इनामदार को किराया नियमित रूप से भुगतान किया गया था, अर्थात् 1958 से पहले मठ को और उसके बाद सरकार को।

5. आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) इनाम (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनियम 1956, जिसे इसके बाद "1956 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है, आन्ध्र प्रदेश एक राज्य के अन्ध्र क्षेत्र में इनाम भूमि को समाप्त करने और कुछ इनाम भूमि को रैयतवारी भूमि में परिवर्तित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

6. इनाम भूमि को 1956 के अधिनियम की धारा 2 (सी) में परिभाषित किया गया है, जिसे नीचे दिया गया हैः

" 2. **परिभाषाएँः –** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, (ग) "इनाम भूमि" से ऐसी कोई भूमि अभिप्रेत है जिसके संबंध में इनाम में अनुदान दिया गया है, जिसकी पुष्टि या मान्यता सरकार द्वारा की गई है और इसमें बनगानपल्ले के विलय किए गए क्षेत्र की कोई भी भूमि शामिल है जिसके संबंध में इनाम में अनुदान दिया गया है, जिसकी पुष्टि या मान्यता क्षेत्र के किसी पूर्व शासक द्वारा की गई है] लेकिन इसमें मद्रास संपदा भूमि अधिनियम, 1908 (1908 का 1 मद्रास अधिनियम) के तहत एक संपत्ति का गठन करने वाला इनाम शामिल नहीं है।'"

1956 के अधिनियम की धारा 2 (डी) इनाम गाँव को सरकार के राजस्व अभिलेखों में नामित गाँव के रूप में परिभाषित करती है। तिरुचानूर एक इनाम गाँव नामित किया गया है।

7. 1975 के अधिनियम 20 द्वारा संशोधन द्वारा अंतःस्थापित, 1956 के अधिनियम की धारा 2ए निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

" [**2–ए.** इनाम भूमि में सभी सांप्रदायिक भूमि, पोराम्बोक आदि का सरकार को स्थानांतरण आैर निहित करना इस अधिनियम में किसी भी बात के बावजूद सभी सांप्रदायिक भूमि और पोराम्बोक, चराई भूमि, बंजर भूमि, वन भूमि, खान और खदान, तालाब, टैंक बेड और सिंचाई कार्य, धाराएं और नदियाँ, मत्स्य पालन और इनाम भूमि में नौकाएँ सरकार को हस्तांतरित की जाएंगी और वे सभी बाधाओं से मुक्त होकर उसमें निहित होंगी।

1956 के अधिनियम की धारा 2ए के आधार पर, सभी वन भूमि, चराई भूमि, सांप्रदायिक भूमि, नदी की धाराएं, पोराम्बोक, टैंक, टैंक बेड आदि सरकार में निहित हैं, जो सभी बाधाओं से मुक्त हैं। इसलिए, कोई भी व्यक्ति एेसी किसी भी भूमि और/या जल निकाय के संबंध में किरायेदारी, अधिभोग या अन्यथा कोई दावा नहीं कर सकता है, जो 1956 के अधिनियम की धारा 2ए के तहत बाधाओं से मुक्त सरकार में निहित है।

8. 1956 के अधिनियम की धारा 7(1) में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

"**7. रैयतवारी पट्टों का अनुदान**–(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद जितनी जल्दी हो सके आैर उपधारा (4) के प्रावधानों के अधीन, तहसीदार स्वतः संज्ञान ले सकता है आैर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा आवेदन करने पर, उन सभी व्यक्तियों या संस्थानों पर जो रैयतवाड़ी पट्टे के अनुदान में रूचि रखते हैं, निर्धारित तरीके से नोटिस देने के बाद, संबंधित ईनाम भूमि आैर उन्हें सुनवाई का उचित अवसर देने आैर सभी प्रासंगिक अभिलेखों की जांच करने के बाद धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार रैयतवाड़ी पट्टों के हकदार व्यक्तियों या संस्थानों का निर्धारण करें आैर उन्हें निर्धारित प्रपत्र में रैयतवाड़ी पट्टा प्रदान करें।

9. भले ही 1956 के अधिनियम को 10 दिसंबर, 1956 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसे आधिकारिक राजपत्र में 14 दिसम्बर 1656 को प्रकाशित किया गया था आैर तुरंत लागू हो गया, पर अपीलकर्ताओं और/या उनके हित पूर्ववर्तियों ने इसके बाद जल्द ही रैयतवारी पट्टा के लिए आवेदन नहीं किया। 1980 में या उसके आसपास ही सर्वपल्ली रमैया ने दो भूखंडों के लिए रैयतवारी पट्टा देने के लिए आवेदन किया था।

10. अपीलकर्ताओं का दावा है कि 29 सितंबर, 1980 के एक आदेश द्वारा, इनाम के उप तहसीलदार, चित्तूर ने 6 एकड़ भूमि वाले भूखंड के लिए सर्वपल्ली रमैय्या की मृत्यु के बाद रैयतवारी पट्टा प्रदान किया।

11. अपीलार्थियों के अनुसार, 4 दिसंबर, 1980 के एक अन्य आदेश द्वारा इनाम के उप तहसीलदार, चित्तूर ने सर्वपल्ली रमैया को 5 एकड़ भूमि वाले दूसरे भूखंड के लिए रैयतवारी पट्टा प्रदान किया।

12. सोमवार, 3 सितंबर, 1984 को चित्तूर जिला राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा तिरुचानूर में पूरे सर्वेक्षण संख्या 234 को पेद्दाचेरुवु पोरम्बोक (टैंक) अधिसूचित किया गया था। उप–धारा (3) के तहत इनाम के उप–तहसीलदार के आदेश और 1956 के अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (4) के तहत राजस्व न्यायालय का निर्णय अंतिम।

13. अपीलार्थियों और/या उनके पूर्ववर्ती स्वर्गीय सर्वपल्ली रामैया ने अधिसूचना को चुनौती नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अन्य लोगों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिसूचना को चुनौती दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे रद्द नहीं किया।

14. कथित रैयतवाड़ी पट्टों के जारी होने के लगभग दस साल बाद सर्वपल्ली रमैया मृतक ने रैयतवारी पट्टों के कार्यान्वयन के लिए परमादश जारी करने के लिए 1990 की रिट याचिका No.2759 दायर की थी। 19 मार्च, 1990 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ ने प्रत्यर्थियों को पट्टा को लागू करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका का निपटारा किया, यदि वे वास्तविक पाए गए।

15. एकल पीठ के उपरोक्त आदेश के अनुसार, मंडल राजस्व अधिकारी, तिरुपति (ग्रामीण) ने सर्वपल्ली रामैया को दिए गए पट्टों को लागू करने के लिए कलेक्टर से मंजूरी मांगी, क्योंकि वे मृत थे, लेकिन अनुमोदन को अस्वीकार कर दिया गया था।

16. इसके बाद, सर्वपल्ली रमैया ने रैयतवारी पट्टों को लागू करने के आदेश की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 1995 की रिट याचिका Nos.29664 और 29665 दायर की।

17. प्रत्यर्थियों ने रिट याचिकाओं पर एक जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें रैयतवाड़ी पट्टों की वास्तविकता पर विवाद किया गया और तर्क दिया गया कि 1977 से 1980 तक जारी किए गए रैयतवाड़ी पट्टों के रजिस्टर में रैयतवाड़ी पट्टों से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं थी।

18. 28 नवंबर, 2001 के एक आदेश द्वारा, विद्वान एकल पीठ ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए कलेक्टर, चित्तूर को उक्त आदेश में निर्धारित समय के भीतर जांच करने आैर उचित आदेश पारित करने का निर्देश किया।

19. इसके बाद कलेक्टर, चित्तूर ने एक जांच की और एक आदेश पारित किया, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

" मामले की जांच की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई भूमि तिरूपति ग्रामीण मंडल के तिरुचानूर गाँव के S.No.234 में स्थित है। तिरूचानुर के उपरोक्त क्रमांक 234 में 113.67½ एकड़ का पूरा विस्तार पेद्दाचेरुवु टैंक के रूप में घोषित किया गया था अ ोर यह निर्णय जिला राजपत्र संख्या 9 दिनांक 03.09.1984 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद मुकदमे सामने आए और माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू. ए. Nos.941/88 और 1070/88 में अपने दिनांक 13–4 1992 के आदेश में आईडीटी को एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में, आई. डी. टी. चित्तूर ने आई. डी. टी. संख्या 1/83 दिनांक 11–5–1993 में एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया है जिसमें तिरूचानुर के S.N. 234 के Ac. 113.67½ की पूरी सीमा को एल०ए० अधिनियम 1956 की धारा 2–ए के अंतर्गत पोरम्बोक टैंक के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक तथ्य है कि तिरुचानूर के एस०नं० 234 की पूरी टीम को टैंक पोरम्बोक घोषित किया गया था आ ैर एल. ए. अधिनियम, 1956 की धारा 2–ए के तहत लाया गया था और ऐसी सांप्रदायिक भूमि रैयतवाड़ी पट्टे के अनुदान के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इस तथ्य की पुष्टि महामहिम श्री न्यायमूर्ति लिंगराज रथ और न्यायमूर्ति श्री वाई. वेंकटचलम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने डब्लू०ए० क्रमांक 193/90 में पारित अपने आदेश दिनांक 09.11.1994 में भी की ग ई थी।

इसके अलावा, उपरोक्त रैयतवाड़ी पट्टे जो कथित रूप से 1980 के दौरान तत्कालीन आई. डी. टी., चंद्रगिरी द्वारा दिए गए थे, उन्हें आई. डी. टी. के आधिकारिक रिकॉर्ड में जगह नहीं मिल रही है और यही तथ्य आई. डी. टी. द्वारा पहले ही काउंटर–एफिडेविट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जमा किया जा चुका है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जिन पर कार्यान्वयन के लिए साक्ष्य मांगे गये हैं, आधिकारिक अभिलेखों में मौजूद नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा तिरुपति ग्रामीण मंडल के तिरुचानूर गाँव के S.No.234 में दावा की गई भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए, काल्पनिक अभिलेखों पर दिए जाने वाले रैयतवाड़ी पट्टों के कार्यान्वयन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह आदेश डब्ल्यू. पी. No.29664/95 और W. P. No.29665/95 में 28–11–2001 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सामान्य आदेशों के सख्त अनुपालन में जारी किया गया है।

20. श्री सर्वपल्ली रमैया ने 2003 की एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कलेक्टर के उक्त आदेश को चुनौती दी गई, जिसे उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 23 अप्रैल, 2003 के एक आदेश द्वारा संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया था। डिवीजन बेंच के समक्ष स्वर्गीय सर्वपल्ली रामैया द्वारा दायर अपील को अपील में विवादित 22 फरवरी, 2006 के फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

21. एकल पीठ द्वारा रिट याचिका को खारिज करने को बरकरार रखने वाले खंड पीठ के 22 फरवरी, 2006 के फैसले और आदेश में कोई कमजोरी नहीं है, जिसमें इस अपील में हस्तक्षेप करने की मांग की गयी है।

22. मेरे विचार में, एकल पीठ ने रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि कलेक्टर ने इस आधार पर उचित रैयतवाड़ी वास्तविकता पर सवाल उठाया था कि संबंधित रजिस्टर में पट्टों के संबंध में कोर्ठ प्रविष्टियां नहीं थी।

शाश्वत पट्टा का अनुदान और 1940 में मठ के महांत द्वारा लिए गए पट्टा का निष्पादन भी विवादित था। जैसा कि मेरी सम्मानित बहन ने उल्लेख किया है, इनाम के उप–तहसीलदार के खिलाफ अवैध रूप से पट्टा देने के गंभीर आरोप थे, जिन्होंने कथित तौर पर दो रैयतवाड़ी पट्टे जारी किए थे। इसके अलावा, 1956 के अधिनियम की धारा 17 के तहत बनाए गए आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) इनाम (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में रूपांतरण) नियम 1957 के साथ पठित 1956 के अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्धारित प्रपत्र में बिना किसी जांच की सूचना के पट्टा कथित रूप से जारी किए गए थे।

इसके अलावा, पूरे सर्वेक्षण संख्या 234 को टैंक पोराम्बोक घोषित किया गया था और धारा 2 ए के तहत लाया गया था और इसलिए, इसे अलग नहीं किया जा सकता था।

23. प्रशासनिक निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन है, केवल विकृति पेटेंट अवैधता, तर्कहीनता, निर्णय लेने के लिए शक्ति की कमी और प्रक्रियात्मक अनियमितता इन आधारों को छोड़कर न्यायिक समीक्षा की असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

24. इस मामले में, न्यायालय के आदेशों के अनुसार लिया गया विवादित निर्णय कुछ सामग्रियों पर आधारित था, इसे विकृत नहीं कहा जा सकता है, उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की असाधारण शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप सुनिश्चित करना। एक निर्णय अतार्किकता से दूषित हो जाता है यदि निर्णय यह इतना अपमानजनक है कि यह सभी तर्कों की अवहेलना करता है; जब रिकार्ड पर मौजूद सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए तर्क संगत रूप से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः निर्णय नहीं ले सकता था। इस मामले में निर्णय अतार्किक नहीं है।

25. एक निर्णय को कभी–कभी अवैधता के आधार पर अनुच्छेद 226 के तहत दरकिनार और रद्द किया जा सकता है। यह तब होता है जब निर्णय के सामने कानून की एक स्पष्ट त्रुटि होती है, जो निर्णय की जड़ तक जाती है और/या दूसरे शब्दों में एक स्पष्ट त्रुटि, लेकिन जिसके लिए निर्णय अन्यथा होता।

26. अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा निर्णय के विरूद्ध नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रकिया के विरूद्ध निर्देशित है। बेशक, निर्णय के मूल में जाने वाली पेटेंट अवैधता आैर/या त्रुटि निर्णय लेने की प्रक्रिया को खराब कर सकता है। इस मामले में एेसा कोई पेटेंट अवैधता या स्पष्ट त्रुटि नहीं है। अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय आक्षेपित निर्णय पर अपील नहीं करता है, न ही तथ्य के विवादास्पद प्रश्नों पर निर्णय देना है।

27. कलेक्टर का निर्णय सामग्री पर आधारित था और इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। उच्च न्यायालय ने बहुत सही तरीके से निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया। यह उच्च न्यायालय के लिए, न्यायिक समीक्षा की अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए, अभिलेख पर साक्ष्य का पुनः विश्लेषण करने और इस विवादित प्रश्न का निर्णय लेने के लिए नहीं था कि क्या मठ के महंत ने अपीलार्थियों के हित पूर्ववर्तियों को शाश्वत पट्टा प्रदान किया था। क्या महंत द्वारा लिया गया पट्टा विधिवत निष्पादित किया गया था, क्या रैयतवारी पट्टा वास्तविक थे या अन्यथा वैध थे या नहीं। न ही यह उच्च न्यायालय का काम था कि वह इस विवादित तथ्य पर निर्णय करे कि विचाराधीन भूमि वास्तव में एक जल निकाय या जल निकाय का सूखा तल था। खेती अक्सर जल निकायों के सूखे तल पर की जाती है। यह जल निकाय के रूप में भूमि के चरित्र को नकारता नहीं है।

28. उच्च न्यायालय ने पूरे सर्वेक्षण क्षेत्र को जल निकाय के रूप में घोषित करने के अपने निर्णय का सही आधार बनाया और वास्तव में यह अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन भूखंड 1956 के अधिनियम की धारा 2–ए के तहत सभी बाधाओं से मुक्त सरकार में निहित थे। इसलिए, प्रत्यर्थियों को उक्त भूखंडों के संबंध में रैयतवारी पट्टा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था।

29. इस मामले में अनुच्छेद 226 के तहत राहत भी 1956 के अधिनियम के प्रारंभ के बाद एक उचित समय के भीतर अपने अधिकार, यदि कोई हो, का दावा करने में देरी, विलंब, स्वीकृति आैर/या चूक के आधार पर अस्वीकार करने योग्य थी।

30. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह दोहराया जाता है कि अपीलार्थी और/या उनके पूर्ववर्ती सुस्त और सुस्त थे। पट्टा के लिए आवेदन 1956 के अधिनियम के प्रारंभ के दो दशक से अधिक समय बाद किया गया था, जबकि क़ानून के अनुसार आवश्यक था कि इस तरह का आवेदन इसके प्रारंभ के तुरंत बाद किया जाए।

31. एकल पीठ और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी उचित निर्णय दिया कि यह अच्छी तरह से स्थापित किया गया था कि पोराम्बोक (टैंक) को अलग नहीं किया जा सकता है। टैंको और जल निकायों के संबंध में कोई पट्टा नहीं दिया जा सकता है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो सूख गए हैं या उपयोग में नहीं हैं। अपीलकर्ताओं और/या उनके हित पूर्ववर्ती ने 3 सितंबर, 1984 की राजपत्र अधिसूचना को चुनौती नहीं दी थी, जिसमें तिरुचानूर में पूरे सर्वेक्षण संख्या234 को "पेद्दाचेरुवु पोराम्बोक" यानी "टैंक" के रूप में अधिसूचित किया गया था।

32. इस न्यायालय ने समय–समय पर जल निकायों को बनाए रखने और बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और कहा है कि जल निकाय अविभाज्य हैं। जल निकायों में निहित भूमि को किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, भले ही वह सूखी हो। इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ निम्न में दिया जा सकता हैः

(1) **सुसेथा बनाम तमिल नाडु राज्य** (2006) 6 एस. सी. सी. 543;

(2) **एम. सी. मेहता (बड़खल और सूरजकुंड लेक्स मैटर) बनाम भारत संघ** (1997) 3 एस. सी. सी. 715 और

(3) **बौद्धिक मंच बनाम आंध्र प्रदेश राज्य** (2006) 3 एससीसी 549

33. एकल पीठ और खंड पीठ दोनों ने सहमति व्यक्त की उनके सुविचारित निष्कर्षों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, मैं अपील को खारिज करने में अपनी सम्मानित बहन से सहमत हूं।

दिव्या पांडे अपील खारिज

Translated/Validated/Corrected By

SMT. MONIKA JAISWAL
II ADDITIONAL DISTRICT &
SESSIONS JUDGE
AMBIKAPUR